

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.स्था.4/375/2019/24334
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/9/19

1. समस्त संभागीय उपायुक्त,
आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश
2. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला संयोजक,
आदिम जाति कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश

विषय:-मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग शिक्षक संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक के संविलियन आदेश के संबंध में ।

संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्र. /शि.स्था.4/375/2019/18149 दिनांक 9.7.219

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग शिक्षक संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 के नियम 5 के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक के संविलियन आदेश आयुक्त स्तर से जारी किये गये हैं । कतिपय आदेशों में तकनीकी त्रुटि के कारण संविलियत शिक्षकों के विषय अंकित नहीं है या उनके विषय में भिन्नता है, अतः ऐसे समस्त संविलियत शिक्षकों के जिनके आदेश में उपरोक्तानुसार त्रुटि है, सुधार हेतु प्रथम नियुक्ति आदेश के साथ प्रकरण एम्बर्ज कर प्रस्तुत करें ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उ.मा. शिक्षक की प्रमाणित प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें । ताकि त्रुटि का संशोधन किया जा सके ।

अपर संचालक,
जनजातीय कार्य विकास,
मध्यप्रदेश